झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड, विधान–सभा

द्वितीय–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 02.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत भगैया में शिल्क कपड़ा निर्माण करने वाले हजारों बुनकर परिवारों के हालात झारक्राफ्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उदासीनता के कारण अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। झारक्राफ्ट महाजनों से कपड़ों की खरीद्दारी कर अपना व्यवसाय चला रहा है, जिससे बुनकरों के सामने रोजी–रोटी की समस्या आ गई है। भगैया के बुनकरों की आर्थिक उत्थान के लिए "कोकून" बैंक की स्थापना, पुराने ऋण की माफी के साथ नये ऋण देने की सुविधा, बनारस के बुनकरों के तर्ज पर बिजली से चलने वाली हस्तकरघा देने की योजना तथा गरीब बुनकरों के आवास निर्माण की माँग की ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	उद्योग
02–	श्री अमित कुमार स0वि0स0 .	मुरी स्थित हिन्डालको के कैमिकल फैक्ट्री में रेड मड पॉण्ड में केमिकल कचरा डंप किया जाता है जिससे आस–पास के क्षेत्रों में कई प्रकार की प्रदूषण जनित रोग फैल रहे है फिर भी हिण्डालको द्वारा केमिकल कचरा बढ़ने के कारण घेरा बंदी करने के लिए वन विभाग के क्षेत्र का उत्खनन कर बड़े दिवाल का निर्माण किया जा रहा है उक्त दीवाल के निर्माण में कितने सी0एफ0टी0 बोल्डर का उपयोग किया जाना है ? कितना सी0एफ0टी0 बोल्डर उपयोग में लाया जा चुका है ? अब तक उक्त के मद में कितने राजस्व के रूप में रॉयल्टी प्राप्त हुआ है के संबंध में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	खनन एवं भूतत्व

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर, केदार हाजरा, एवं सत्येन्द्र नाथ तिवारी स0वि0स0	ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2001-02 में एम्स के तर्ज पर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना की गई थी। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, अंकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स सर्जरी, टेलीमेडिसीन विभाग को सुपर स्पेशियलिटी विभाग के रूप में स्थापित करने हेतु राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान को अभी तक लगभग 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है, कि विशेषज्ञ चिकित्सकों, अपर्याप्त उपकरणों और तकनिशियन के अभाव में अभी तक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पाया है। अधिकांशतः सुपर स्पेशियलिटी विभाग कनीय चिकित्सको के भरोसे ही चलाये जा रहे हैं। संस्थान परिसर के अन्दर सफाई, व्यवस्था भी लचर है। समुचित प्रबंधन और समरस वातावरण के अभाव में चिकित्सा शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
04-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0	राज्य के गिरिडीह जिला में माईका उद्योग विश्व विख्यात है जहाँ के तिसरी, गाँवां, डोमचांच, भण्डारो, मालडा, गुमरी, सपही एवं कई अनेक क्षेत्रो में ढिबरा माईका प्रचूर मात्रा में बिखरे पड़े है परन्तु विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही एवं पूर्ववर्ती सरकार की भेदभाव नीति के कारण उक्त व्यवसाय से जुड़े पट्टाधारियों का लीज नवीकरण न होने कारण उक्त क्षेत्र का माईका व्यवसाय पूर्णरूपेण मृत होने की कगार पर है जिससे राज्य सरकार को प्रतिमाह लाखों रूपये के राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही साथ कई व्यवसाय से जुड़े लोग पलायन कर चुके है जिससे कई मजदूर भी भूखमरी के कगार पर है। विदित हो कि उक्त व्यवसाय से जुड़े कई लोग लीज पट्टा लेने हेतु ईच्छुक है। परन्तु विभागीय जटिल प्रक्रिया एवं विभागीय पदाधिकारियों के भ्रष्ट रवैये के कारण लीज पट्टा से वंचित है। इतना ही नही अगर सरकार गिरिडीह जिला के माईका व्यवसाय का नवीकरण एवं लीज पट्टा देने में विभागीय प्रक्रिया को सरल कर दें तो शायद उक्त क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार हेतु पलायन नहीं करना पड़ेगा साथ ही इस क्षेत्र का विकास के साथ-साथ सरकार को प्रतिमाह लाखों रूपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	खनन एवं भूतत्व

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
05-	श्री प्रदीप यादव राज कुमार यादव एवं प्रकाश राम स0वि0स0	झारखण्ड बनने के 14 वर्षो के बाद भी झारखण्डी कौन, स्थानीय कौन यानी स्थानीयता की परिभाषा परिभाषित नहीं हो पाया है और इसका खमियाजा स्थानीय नौजवानों को भूगतना पड़ता है। झारखण्ड राज्य में भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा हो रही नियुक्तियों में झारखण्ड के नौजवानों की संख्या नगण्य है, अधिकांश राज्य के बाहर के नौजवान इन नियुक्तियों में चयनित हो रहे है, जिस कारण झारखण्ड के नौजवानों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। इससे बेहतर अलग राज्य होने पहले यानि 15 नवम्बर,2000 के पहले तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व रखा गया था और आज़ भी अन्य राज्यों में यही व्यवस्था बरकरार है। बिहार सरकार ने 1976 में प्राइमरी एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के बहाली के लिए एक नियमावली बनायी थी, जिस नियमावली का नाम था **"बिहार शिक्षा विधि एवं विधान"** उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि इन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा जिला संवर्ग की मानी जायेगी, इस नियमावली के खंड-2 में स्पष्ट अंकित है कि नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उसकी नियुक्ति होने वाली हो। जिले के निवासी के रूप उन अभ्यर्थियों को भी मान्यता दी जायेगी जो उस जिले के प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षित हुए हो या जिन्होंने उस जिले से मैट्रिक या उससे ऊपर की योग्यता की परीक्षा पास की हो। महिलाओं के लिए पिता तथा पति का जिला उनका जिला माना जायेगा। जिनके अभिभावक उस जिले में राजकीय सेवा अथवा व्यवसाय में कम से कम 10 वर्षो से रहते हो, वैसे अभ्यर्थी भी उस जिले में नियुक्त हो सकेगें। झारखण्ड सरकार ने 16 फरवरी, 2001 को इसी को अंगीकार किया था और इस आधार पर हुई बहालियों में झारखण्ड के नौजवानों का मौका मिला। लेकिन 2012 को राज्य सरकार ने **शिक्षक नियुक्ति नियमावली** बनायी है जो कई खामियों से भरा पड़ा तो है ही, सबसे बड़ी खामी कि **जिला निवासी एवं जिला कैडर की अनिवार्यता समाप्त** कर दी गयी है जिसका परिणाम सामने आ रहा है कि अनारक्षित कोटे में अधिकांश राज्य के बाहर के छात्रों का प्रवेश हो रहा है। स्थानीय नीति परिभाषित न होने के कारण (+2) शिक्षक बहाली में अधिकांश छात्र राज्य के बाहर के आ गये, हिन्दी एवं संस्कृत विषय में तो 90% बाहर के लोगों को नौकरियाँ दे दी गयी।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाष

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में झारखण्ड की भागीदारी अत्यंत ही कम है, शिक्षा का स्तर भी अन्य राज्यों से नीचे है। अतः आज आवश्यक है यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को संरक्षण देने का। इसके लिए झारखण्ड सरकार स्थानीयता के परिभाषा को परिभाषित करे एवं झारखण्ड के स्थानीय नौजवानों के लिए संविधान के अनुच्छेद-16 के धारा-iii के आलोक में राज्य सरकार भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजे कि आने वाले 10 वर्षो में झारखण्ड राज्य के सभी वर्ग की नौकरियों को आरक्षित किया जाय। भारत सरकार सदन से इस आशय का कानून बनावें उपरोक्त तमाम महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जो राज्यहितकारी एवं लोक महत्व का है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची
दिनांक- 02 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-02/2015-295/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01.3.15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/खनन एवं भूतत्व विभाग/ उद्योग विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/15
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-02/2015-295/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01.3.15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

28.02.15